

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- फार्मासिस्ट/एसीपी आक्षेप/18230/2023/51

दिनांक: 26-03-2024

- विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल, जयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
डीग/सीकर/भीलवाड़ा।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांरा।

विषय:- फार्मासिस्ट कार्मिकों के 9 वर्षीय एसीपी के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत निम्नलिखित फार्मासिस्टों के 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं जिन्हे मूल ही आपको भिजवाकर लेख है कि उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें: -

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1.	मुकेश मीणा	विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल	चैकलिस्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
2.	योगेश कुमारी	सीएमएचओ, डीग	स्थाईकरण आदेश की प्रति, नवीनतम तिथि का संतान प्रमाण पत्र एवं एक ही प्रकरण के तीन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।
3.	हेमन्त कुमार मीणा	पीएमओ, बांरा	नवीनतम तिथि का संतान प्रमाण पत्र एवं एसीआर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4.	सुशीला कुमारी	सीएमएचओ, सीकर	कार्मिका के चैकलिस्ट एवं सेवापुस्तिका में प्रथम नियुक्ति दिनांक में भिन्नता है एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
5.	राजेश कुमार संचेती	सीएमएचओ, भीलवाड़ा	प्राप्त प्रस्ताव के साथ कार्मिक के चैकलिस्ट एवं अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है।

(डॉ. आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- फार्मासिस्ट/एसीपी आक्षेप/18230/2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे

Signature valid

RajKaj Ref
6299286



Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director (Training)
Date: 26/03/2024
Reason: Approved
राजस्थान जयपुर